उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–3954–औ0सं0 / 2024–19(125)–ए0एस0 / 01 **दिनांक : 11 दिसम्बर, 2024**

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 05.11.2024 को सम्पन्न हुई 207वीं बैठक में प्रस्ताव सं0–207(11) पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से उपकेन्द्रों / लाईनों के अनुरक्षण एवं परिचालन आदि कार्यो हेतु नियोजित आउटसोर्स श्रमिकों की विभागीय कार्य करते समय हुई घातक विद्युत दुर्घटना में मृत्यु होने पर तात्कालिक सहायता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप सं0–3000–औ0सं0 / 2023–19(125)ए0एस0 / 01, दिनांक 30.06.2023 को एतद्द्वारा निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

1. दिनांक 01.10.2024 से प्रकाशित निविदाओं में आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से उपकेन्द्रों / लाईनों के अनुरक्षण कार्य में नियोजित आउटसोर्स श्रमिकों की विभागीय कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक आउटसोर्स श्रमिकों के परिजनों को तात्कालिक सहायता हेतु अनुमन्य की जाने वाली अनुग्रह धनराशि को रू0 7.50 लाख से बढ़ाकर रू0 10.00 लाख किया जाता है।
2. आउटसोर्स कार्मिकों की विभागीय कार्य करते समय हुई दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर स्थायी अपंगता के प्रतिशतता के सापेक्ष रू0 10.00 लाख की प्रतिशत धनराशि अनुमन्य की जाती है।
3. दिनांक 01.10.2024 से पूर्व से चल रहे अनुबन्धों के अनुसार सामूहिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। सामूहिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी के सभी नियम यथावत रहेंगे तथा अनुबन्धित आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा आउटसोर्स कार्मिकों हेतु ली गयी बीमा पॉलिसी में बीमा धनराशि को अनुबन्ध समाप्त होने की अवधि तक रू0 7.50 लाख की क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या :–3954–(1) औ0सं0 / 2024–तद्दिनांक :–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0एस0एल0डी0सी0लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल / मध्यांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / वि0वि0नि0लि0, वाराणसी / लखनऊ / मेरठ / आगरा एवं केस्को कानपुर।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) / (वित्त) / (वितरण) / (कारपोरेट प्लानिंग) / (आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0ट्रॉका0लि0 / उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वान्चल / मध्यांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / वि0वि0नि0लि0, वाराणसी / लखनऊ / मेरठ / आगरा ।
7. निदेशक (वित्त), पूर्वान्चल / मध्यांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / वि0वि0नि0लि0, वाराणसी / लखनऊ / मेरठ / आगरा एवं केस्को कानपुर।
8. अपर सचिव (प्रथम / द्वितीय / तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

9. मुख्य अभियन्ता (हाईडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस आशय से कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ अधिकारियों/इकाईयों को उपलब्ध करा दें।
11. उप म0प्र0 (औ0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की 207(11)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407 शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
14. कट फाइल।

PKumar 11/12/24

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)